उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-22/2017/एस-2-517/दस-2017-88क(2)/2017

लखनऊ :: दिनाँक:: 12 जून, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्यो के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते के दिये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है
1	2	3
1	श्री मुकुल कुमार अग्रवाल, वित्त नियंत्रक, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ।	वित्त एवं लेखाधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इन्स्टीटयूट एण्ड हास्पिटल, चक गजरिया, लखनऊ।
2	श्री दीपांकर शुक्ला, मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी।	वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झाँसी।

2- संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश एतदद्वारा उक्त सीमा तक निरस्त समझे जायेगें।

शिव गोपाल सिंह

<u>संख्या-22/2017/एस-2-517(1)/दस-2017, तददिनाँक।</u> अनु सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग,उ0प्र0 शासन।

2- कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झाँसी।

4- जिलाधिकारी, झांसी।

5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

7- संबंधित अधिकारीगण।

8- गार्ड फाईल। आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।